



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०
Ref. No.

504/OA No. 166/Priyank Bharti/2024

दिनांक

Dated 03-8-2024

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.-Report in Compliance to the order issued by Hon'ble National Green Tribunal on 22.02.2024 and 24.04.2024 in O.A. No. 166/2024 Priyank Bharti Vs State of Uttar Pradesh & Others.

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Report in compliance of the order issued on 22.02.2024 and 24.04.2024 in O.A. No. 166/2024 Priyank Bharti Vs State of Uttar Pradesh & Others.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Ankit Singh)

Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. District Magistrate, Muzaffarnagar for information.
3. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

ACTION TAKEN/COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF UPPCB IN COMPLIANCE TO HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL'S ORDER DATED 22.02.2024 IN O.A. NO. 166/2024 PRIYANK BHARATI VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

=====

1.0 BACKGROUND:

In this original application, applicant has raised the issue of encroachment on Budhi Ganga River in District Muzaffarnagar. It is alleged that the river's ecological balance has been severely disrupted by unauthorized agricultural practices and encroachments along its banks and in catchment area and these activities have led to adverse environmental impact. .

Order Dated 22.02.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

Hon'ble Tribunal on dated 22.02.2024 passed directions in the present O.A. Effective part of the order is as below:-

".....In this original application, Applicant has raised the issue of encroachment on Budhi Ganga River in District Muzaffarnagar. The plea of the Applicant is that Budhi Ganga River originates in Gram Devel of District Muzaffarnagar and flows through Meerut before reaching Garhmukteshwar in Hapur District, covering the span of approximately 93 kms. It is alleged that the river's ecological balance has been severely disrupted by unauthorized agricultural practices and encroachments along its banks and in catchment area and these activities have led to adverse environmental impact, threatening the integrity of the river ecosystem.

2. Same Applicant had earlier filed OA No. 511/2023 raising the issue of encroachment on Budhi Ganga and its flood plain zone at Hastinapur.

3. The present OA raises substantial issue relating to compliance of the provisions of Scheduled enactments. Considering the issue raised in the OA, we are of the opinion that the issue of encroachment on the flood plain zone of River Budhi Ganga in the entire stretch of 93 kms needs to be examined.

4. Issue notice to the respondents for filing their response at least one week before the next date of hearing. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing....."

Action Taken Report

In compliance to the above directions, Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar issued letter dated 02.03. 2024 to SDM Sadar and SDM Jansath to provide compliance report in the present O.A. SDM Jansath and SDM Sadar (Respondent No 3 and Respondent No 4) have examined the complete records of the villages/ area covered under Bhudi Ganga under their jurisdictions. Following is the status :-

- SDM Sadar, Muzaffarnagar vide letter no 1449/Ra/Ni/Ka dated 01.08.2024 (**Annexure 1**) has informed that there is no village/ Block in the tehsil presently covered under Bhudi Ganga River.

- SDM Jansath, Muzaffarnagar vide letter no.- 2186/ST-Jansath/2024 dated 02.08.2024 (**Annexure 2**) has submitted report after examining the revenue records and has concluded the following
 - Total no. of villages in Tehsil Jansath – 18
 - Total no. of villages having land under Bhudi Ganga – 3
 - Status of Bhudi Ganga covered under identified 3 villages :-

SI no	Name of Village	Total area under Bhudi Ganga (Hectare)	Available/ Vacant area under Bhudi Ganga (Hectare)	Area Allocated for agriculture purpose (Hectare)	Action taken against encroachment
1	Firozpur Khadar,	2.4180	1.5170	0.9010	Cancellation of allotments under progress by Revenue Department
2	Kailapur jasmaur	14.1670	12.9090	1.2580	Cancellation of allotments under progress by Revenue Department
3	Purshottampur	0.624	0.624	0.0	Area covered under Hastinapur Wild Life Sanctuary

The above report is put up for perusal and necessary action please.

S.No.	Name of Officials & Details	Signature
1	SDM Jansath	
2	SDM Sadar	
3	Regional Officer UPPCB, Muzaffarnagar	

कार्यालय उपजिलाधिकारी तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या 1449/रा0नि0का0

दिनांक 01.08.2024

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 166/2024 प्रियांक भारती बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में निर्गत नोटिस दिनांक 27.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक महोदय के पत्र संख्या 1248/जी0140/एन0जी0टी0 सामान्य/ मुजफ्फरनगर/2024 दिनांक 02.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा बूढी गंगा में Encroachment and unauthorised Agriculture practlices आदि के सम्बन्ध में योजित ओ0ए0 संख्या 166/2024 के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2024 के अन्तर्गत Sub -Divisional Magistrate, Tehsil Sadar Muzaffarnagar द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में आग्रिम आवश्यक विभागीय कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है। कि जनपद मुजफ्फरनगर तहसील सदर, के किसी भी ब्लॉक में /ग्राम में बूढी गंगा के नाम राजस्व अभिलेखों में कोई भूमि अंकित नहीं है। तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर में केवल काली नदी व सोलानी नदी की भूमि है। बूढी गंगा के नाम कोई भूमि तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर के अभिलेखों में अंकित नहीं है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित।


उप-जिलाधिकारी सदर,
मुजफ्फरनगर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी जानसठ, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक संख्या 2186/एस0टी0-जानसठ/2024

दिनांक 02.08.2024

विषय मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-166/2024 प्रियांक भारती बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में निर्गत नोटिस दिनांक 27.02.2024 के अनुपालन के संबंध में।

**क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, मु0नगर।**

उपर्युक्त विषयक माननीय एन0जी0टी0 द्वारा बूढी गंगा में Encroachment and unauthorised Agriculture Practices आदि के सम्बन्ध में योजित ओ0ए0 संख्या 166/2024 के अन्तर्गत निर्गत नोटिसो के क्रम में तहसील जानसठ क्षेत्रान्तर्गत बूढी गंगा के सम्बन्ध में विवरण सलंगन कर प्रेषित है।


उपजिलाधिकारी जानसठ,
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि :-

1- जिलाधिकारी महोदय मु0नगर को सादर सूचनार्थ अवलोकनार्थ।


उपजिलाधिकारी जानसठ,
मुजफ्फरनगर।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0संख्या 166 / 2024 त्रिांक भारती बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में तहसील जानसठ जिला मु0नगर में स्थित बूढी गंगा के अभिलेखो का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त आख्या निम्नवत है-
तहसील जानसठ में बूढी गंगा का विवरण

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	खतौनी फसली वर्ष के अनुसार विवरण व क्षेत्रफल	जोत चकबन्दी आकार पत्र 41-45 के अनुसार विवरण व क्षेत्रफल	वर्तमान खतौनी के अनुसार विवरण व क्षेत्रफल	क्षेत्रफल में कमी/बेशी होने का कारण	बूढी गंगा की भूमी पर की गई कार्यवाही व अन्य विवरण
1	फिरोजपुर खादर	खतौनी फसली वर्ष 1365 के अनुसार खसरा संख्या 146स क्षेत्रफल 11 बिघा 16 विस्से 4180हे0 (2.)	जोत चकबन्दी आकार पत्र 41-45 नहीं है	बूढी गंगा खसरा संख्या 146म क्षेत्र 0. 5430हे0 व सौलानी नदी खसरा संख्या 146म क्षेत्र 0.4310हे0, खसरा सं0 146म क्षेत्र 0.5430हे0 कुल तीन किते क्षेत्रफल 5170हे0 बूढी गंगा व सौलानी नदी	0.9010 हे0 मे किसानो को कृषि आवटन किये जाने के कारण क्षेत्रफल में कमी हुयी है।	आवटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
2	कैलापुर जसमौर	वर्ष 1359फ0 के खसरे में बूढी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है।	खसरा संख्या 822 क्षेत्र 0. 4710हे0, 830 क्षेत्रफल 0.1540हे0, 836 क्षेत्रफल 0.8500हे0, 849 क्षेत्रफल 0.2050हे0, 852 क्षेत्रफल 7.6520हे0, 855 क्षेत्रफल 2.3050हे0, 858 क्षेत्रफल 2.3250हे0, 907 क्षेत्रफल 0.2050हे0 कुल 8 किते क्षेत्रफल 14.1670हे0	खसरा संख्या 849 क्षेत्र 0.2050,852/7 क्षेत्र 0.2500हे0, 858 क्षेत्र 0.0010हे0, 907 क्षेत्र 0.2050हे0,858/5 क्षेत्र 0.1840हे0, 858/1,2 क्षेत्र 0.5020हे0,852/8 क्षेत्र 0.6000हे0, 852म क्षेत्र 0.4150हे0, 852म क्षेत्र 0.4100हे0, 855/2 क्षेत्र 0.6150हे0,852/6 क्षेत्र 0.6400हे0, 852म क्षेत्र 0.4150हे0,852म क्षेत्र 0.4100हे0,855 क्षेत्र 0.6150,852म क्षेत्र 0.4150हे0,855म क्षेत्र 0.4150हे0,852/2 क्षेत्र 0.240हे0, 858/4 क्षेत्र 0.9730हे0,822 क्षेत्र 0.2050हे0,852 क्षेत्र 0.8190हे0, 852/5 क्षेत्र 0.8190हे0,852/3 क्षेत्र 0.6150हे0,830/3 क्षेत्र 0.1540हे0, 855/4 क्षेत्र 0.4200हे0, 836/1 क्षेत्र 0.8190हे0, 858/3 क्षेत्र 0.5640हे0 कुल 26 किते क्षेत्र 12.9090हे0	खसरा संख्या 822 क्षेत्र 0. 2660हे0, 836 क्षेत्रफल 0. 310हे0 व 858 क्षेत्रफल 0. 1010हे0 भिक्कियत सरकार को आवटित की गयी। खसरा संख्या 855 क्षेत्र 0. 0400हे0 मतरुक को दिया गया। खसरा संख्या 852 क्षेत्र 0.4100हे0 खोला को दिया गया। खसरा संख्या 852 क्षेत्र 0. 4100हे0 का कृषको के नाम कृषि आवटन किया गया। 5 किते क्षेत्रफल 2580हे0	आवटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

42

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and a circular stamp on the left.


3	पुरशोत्तमपुर	वर्ष 1359फ0 के खसरे में बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है।	खसरा संख्या 111 रकबा 0.563हे0 व खसरा संख्या 112 रकबा 0.0510हे0 व खसरा संख्या 115 रकबा 0.0100हे0 कुल 3 किते क्षेत्र 0.624हे0	खसरा संख्या 111 क्षेत्र 0.563हे0, 112 रकबा 0.0510हे0 व 115 क्षेत्र 0.0100हे0 (वर्तमान में खसरा संख्या 111,112,115 कुल क्षेत्र 0.624हे0 वन्य जीव विहार हरिनापुर के नाम अंकित है।)	-
4	मजलिसपुर तौफार	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
5	सीकरी	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
6	खाईखेडा	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
7	भूमा	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
8	जटवाडा	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
9	किथौडा	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
10	कासमपुर खोला	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
11	लुकादडी	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
12	खेडी सराय	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
13	नावला हबीबपुर	उपरोक्त ग्राम तहसील जानसठ के क्षेत्रान्तर्गत नहीं है			
14	पुट्टी इब्राहिमपुर	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
15	सिखरेडा	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
16	टिकौला	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			
17	तिसंग	उक्त ग्राम में 1359फ0 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है			

18	तिरुपुर	उक्त ग्राम में 1359770 से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेखों के अनुसार बूढ़ी गंगा के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है
----	---------	--

अतः उपरोक्ता अनुसार तहसील जानसठ क्षेत्रान्तर्गत बूढ़ी गंगा नदी के नाम से कुल तीन ग्रामों में एकबा अंकित है किन्तु आवटन या अन्य किसी कारण से यदि प्रवाह का संरेखण प्रभावित हुआ है, तो उसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। मा0 न्यायालय में वाद विचारार्थीन है। मा0 न्यायालय के अन्तिम आदेश के उपरान्त कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।


मुद्रा


02.08.24
A. J. M.


02.11.24


तहसीलदार,
जानसठ


उपजिलाधिकारी,
जानसठ

